Government of Bihar
Department of Social Welfare

Notification

Notification No. ICDS/10010/03-2012...4191... /Patna, Date...7.9.17...

In exercise of the powers conferred by proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service condition of Statistical Assistant Cadre under the ICDS Directorate under control of the Department of Social Welfare.

The Bihar Integrated Child Development Statistical Assistant Cadre Rule, 2017

CHAPTER- 1

Preamble

1. Short title, Extent and Commencement. -

(1) These Rules may be called "Bihar Integrated Child Development Statistical Assistant Cadre Rules, 2017"

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(3) It shall come into force at one.

2. Definition. - In these Rules, unless otherwise requires in the context

(i) **"Governor"** means Governor of Bihar;

(ii) **"State "** means the State of Bihar;

(iii) **"Government"** means Government of Bihar;

(iv) **"Department"** means Social Welfare Department of Govt. of Bihar;

(v) **"Commission"** means Bihar Staff Selection commission;

(vi) **"Secretary/Principal Secretary to Government"** means Secretary/Principal Secretary, Social Welfare Department;

(vii) **"Directorate"** means ICDS Directorate;

(viii) **"Appointing Authority"** means Director;

(ix) **"Director"** means Director of ICDS Directorate;

(x) **"Rajbhasah Deptt."** means Rajbhasah Deptt. Under Cabinet Secretariat Deptt.

(xi) **"Board of Revenue"** means board of Revenue under the Revenue and Land Reform Deptt;

(xii) **"Year"** means Financial Year to be started from First April;

(xiii) **"Cadre"** means cadre of Statistical Assistant and Statistical Officers at District and Project Level under control of ICDS Directorate;

(xiv) **"Member"** means an employee appointed in the Bihar Integrated Child Development Statistical Assistant cadre;

(xv) **"Programme Office"** means District Programme Office;

(xvi) **"Project Office"** means Child Development Project Office; and

(xvii) **"Schedule"** means Schedule annexed with this rule;

3. Structure of Cadre. -

(1) This cadre shall be under the administrative control of Social Welfare Department. The structure of the posts of different categories at this service shall be determined as follows :-

Sl. No.	Level of Post Category	Name of the Post
1	2	3
1	Basic Category (Non Gazetted)	Statistical Assistant
2	Promotion (First level- Gazetted)	Statistical Officer

Pay Scale of the posts will be same which will be determined from time to time by the Government.

(2) On the date of the commencement of these rules, the Statistical Assistant/ Statistical Officer already appointed and working on the posts mentioned in Rule 3(1) to those Rules shall be deemed to be included automatically in this service.

(3) Statistical Assistant shall be Non Gazetted employees and Statistical Officer shall be Gazetted employees of Bihar Integrated Child Development Statistical Assistant Cadre.

(4) The Department of Social Welfare, State Government shall revise/determine the number of posts and structure of this cadre from time to time.

(5) Department of Social Welfare shall review the number of posts and structure of the cadre, after five years interval, on the basis of the recommendation of the committee constituted comprising of following members :-

(a) Secretary/Principal Secretary, Social welfare Dept.	:-	Chairman
(b) Director, ICDS Directorate	:-	Member
(c) Representative of SC/ST nominated by General Administration Department	:-	Member
(d) Department Internal Financial Advisor	:-	Member
(e) Establishment Officer In charge of ICDS	:-	Member- Secretary

CHAPTER - 2

4. Source of Recruitment. -

(1) Direct recruitment will be made to the post of "Statistical Assistant" of the basic category of this cadre by The Director, ICDS on the recommendations of the Commission as per the procedure determined from time to time.

This post will be in The Directorate, District Programme Office and Child Development Project Office. This will State level Post.

(2) All the post of Statistical Officer shall be filled by promotion of Statistical Assistance on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. For Promotion, all other provisions including Kalawadhi determined by General Administration Department shall be applicable.

This post will be in the Directorate, District Programme Office and Child Development Project Office. This will be State level post.

5. Qualifications for Direct Recruitment. -

(1) The Candidate shall be a citizen of India

(2) **Age-** min age of candidate shall be 21 years and maximum age limit shall be same as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

(3) **Educational qualification:-** To have Graduation degree in Statistics/Mathematics/ Economics from any recognized University will be essential.

(4) **Ground of Selection: -** It will be compulsory for the Candidate shall participate in the written examination held by The Commission for the appointment in the basic category of this cadre.

After preparing merit list by the Commission on the basis of marks obtained, in conformity with the vacancy recommendation of successful candidates for the recruitment for the post of Statistical Assistants shall be sent to the directorate ICDS. Appointment letter will be issued by Director, ICDS.

(5) **Subject and Syllabus of the examination. -** Examination will be held by the Bihar Staff Selection Commission as per the syllabus as determined in schedule-I for direct recruitment to the post of Statistical Assistants.

(6) Merit list of the candidates recommended by the Commission stand valid for 1 year from the date of recommendation.

7.9.17

(7) **Appointment.** - Any candidate shall have not the right of appointment on the post of Statistical Assistants after merely being successful in the examination until the Director ICDS is not satisfied in respect of their educational qualification, character and antecedents offer making such enquiry as the Director, ICDS may think essential for the appointment to the said post.

6. **Determination of Vacancies .-** Calculation of different vacancies in the service for direct recruitment as on 1st April every year shall mad separately by the Directorate ICDS and reservation category wise requisition shall be sent to the Commission by the 30th April and a copy of such shall be made available to the Social Welfare Department , Bihar, patna.

CHAPTER-3

Seniority and Confirmation

7. **Seniority.** - Inter-se Seniority of the employees appointed by direct recruitment shall be determined at state level on the basis of merit list prepared as per order by the Commission.

Seniority of the Statistical Assistants/Officer already appointed and working shall be determined by Directorate, ICDS as per rules issued by the State Government from time to time.

8. **Probation Period/ department Examination/Confirmation.-**

(1) Probation period shall be two years after appointment. Service may be confirmed after satisfactory work in Probation Period, successful completion of training as determined by the Directorate and passing the Departmental Examination.

(2) Syllabus of Departmental Examination for the Statistical Assistants shall be the same for Hindi Noting and Drafting exam as it may be determined by Rajbhasha Department.

After promotion to the gazetted post, it will be compulsory for the gazette officers to pass the Departmental examination for Gazetted Officer determined by the Government and pass in the Hindi (Written), Hindi (Oral) and Accounts (With and without Book). Subject conducted by the Board of Revenue.

(3) Syllabus of programme for training (including computer training) shall be prepared in consultation with the Administrative Training Institute (ATI).

(4) In case the service of the candidate found to be unsatisfactory at the end of or in the probation period the may be extended for one years. The service of the concerned candidate may be terminated from the service on being Service not satisfactory in the extended probation period.

CHAPTER-4

Promotion

9. Promotion.-

(1) The category /post as mentioned in Rule 3(1) shall be treated the post hierarchy for promotions.

(2) Kalwadhi for consideration for promotion from basic category to higher category/categories shall be same as it may be determined by General Administration Department from time to time.

(3) Department Promotional Committee shall be constituted for consideration of promotion from basic category to higher category/categories in the following manner :-

(a)	Secretary/ Principal Secretary, Deptt. Of Social Welfare	:-	Chairman
(b)	Director, ICDS Directorate	:-	Member
(c)	Officer of SC/ST nominated by General Administration Deptt.	:-	Member
(d)	Internal Financial Advisor of Department	:-	Member
(e)	Establishment Officer In charge of ICDS	:-	Member- Secretary
(f)	Minority Officer nominated by the Directorate	:-	Member

CHAPTER- 5

Miscellaneous

10. **Reservation .-** Compliance of Reservation Act and Resolutions/ Instructions/ Roster issued under enforced in the State in the basic Category in the appointment by direct requirement and in promotion from basic categories to the higher categories will be compulsory.

11. **Service Period .-** The service period of the Statistical Assistant appointed under this cadre shall be for the period as determined by the State Government or at the end of the project or till the period of operation whichever be earlier.

12. **Training.** - The members of this cadre shall be sent for the training in the state or out of the state for the period determined by the Social Welfare Department/ Directorate, ICDS.

13. **Posting.-** The members of this cadre shall be posted at Directorate ICDS/ District Programme Office/ Child Development Project Officers.

14. **Other Service Condition.-** Other Service Conditions for cadre like Disciplinary action, leave, admissible retrial benefit etc. Which has not been mentioned in these Rules shall be controlled by the provisions of the Rules / Regulations enforced for the time being in state for this purposes.

15. **Repeal and Saving .-**

(1) All relevant resolutions/ circulars/Decisions/ Orders and instruction related to this cadre are hereby repealed.

(2) Not with standing such repeal anything done or any act on token under the said regulations/Circulars/Decisions/ Orders or instruction shall be deemed to be done or taken under these Rules as if those Rules were enforced on the day on which such thing was done or such action was taken.

7/9/17 7/9/17 7.9.17

Government of Bihar

Social Welfare Department

Schedule-I

Integrated Child Development Services Statistical Service Cadre Rules, 2017

See Rule – 5 (iv)

Subject and syllabus for direct recruitment on the post of Statistical Assistant

01. Compulsory Paper -

(i)	General Hindi	:-	100 (Full marks)
(ii)	General Study (Knowledge of Current Affairs)	:-	100 (Full marks)
(iii)	General Science	:-	100 (Full marks)

General Hindi will be a qualifying subject in which all candidates will have to obtain minimum 30 marks. But the marks obtained in this paper will not be added for the purposes of determing the preference.

02. Optional Paper -

(i)	Pure and applied mathematics	:-	200 (Full marks)
(ii)	Statistics	:-	200 (Full marks)
(iii)	Economics	:-	200 (Full marks)

It is compulsory to take two out of the above mentioned subject.

03. Syllabus -

(i) **General Study (with knowledge of Current Affairs)** - This paper will include question from Indian History, Culture and Geography. The current events from International / national / State affairs will be asked which can be answered without any special study by the candidates.

(ii) **General Science** - This paper will be used to examine the knowledge of the scientific aspects of observation and experience of everyday things.

(iii) **Pure and applied Mathematics -**

- (i) Algebra, trigonometry, determinants and principle of equations
- (ii) Elementary theory of two and three dimensional analytical (plane and solid) geometry.
- (iii) Integral, differential calculus and lateral equations
- (iv) Static theory of attraction potential and hydrostatics
- (v) Dynamics of particles and preonary rigid dynamics

(iv) **Statistics** – Primary knowledge of probabilities which includes hypothesis of Y its expected values, Advancing interpolation formula of Lagrange and newton's derivation of normal curve and its Fundamental Properties Primary theory of least square, classified Statistics- Tabulation graphical representation – mean (Ascending numbers with same detail), Dispersion, symmetry, cortosis, Attributes and Association mean in general population. Distribution of Variants, Standard distribution of same work, elementary properties means binomial Rectangular, Personium of krouch, Independent Normal Variant, X2 resultant of dispersion, Attributes of bivariant normal distributions, Personium coefficient, Rank 2 Coefficient of interclass correlation, Principal / Theory of Tetrocoric and biserial including coefficient correlation only two and three times, concept of sampling is statistics, Elementary lest of Hypothesis which include demonstration of TFX2 distribution without formal proof, Primary hypothesis, (Uni and Bi classification) of analysis of variance and covariance.

(v) **Economics** – The candidates are expected to have knowledge of economic theories and they should direct the theories with facts, and analyze the facts with the assistance of theories Questions will be selected on theories of development of economics concepts and public finance (Fiscal matter).

7.9.17

The level of optional subjects will be on par with graduation examinations of the Patna University.

By Order of the Governor of Bihar

(Sujata Chalana)
Additional Secretary
Department of Social Welfare

Memo No. ICDS/10010/3-2012-- 4191 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- E-gazette cell , Finance Deptt. Govt. of Bihar, Patna with C.D and Hard Copy for publication in Bihar Offical Gazette.

Additional Secretary

Memo No. ICDS/10010/3-2012-- 4191 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Member Board of Revenue/All Principal Secretary/ Secretary/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary

Memo No. ICDS/10010/3-2012-- 4191 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Accountant General (Accounts & Entitlement) Bihar, Patna / Officer in –charge, Finance (Personal grievance fixation cell) Department, Bihar, Patna / All Divisional Commissioner/ Director, ICDS/ Social Welfare/ Social Security & Disability/ All District Magistrate/ All DPOs for information & necessary action.

Additional Secretary

Memo No. ICDS/10010/3-2012-- 4191 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Private Secretary to Minister , Deptt. Of Social Welfare/ Principal Private Secretary to Departmental Principal Secretary and All Departmental Officers for information.

Additional Secretary

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

अधिसूचना संख्या :- ICDS-10010/03-2012......4191....../ पटना, दिनांक.....7-9-17

भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आई0सी0डी0एस0, निदेशालय के अधीन सांख्यिकी साहयक की भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित न्यिमावली बनाते हैं :-

बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी सहायक संवर्ग नियमावली-2017

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।** -

(1) यह नियमावली "बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी साहयक संवर्ग नियमावली, 2017 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ ।** - इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

(i) "**राज्यपाल**" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ;

(ii) "**राज्य**" से अभिप्रेत है बिहार राज्य ;

(iii) "**सरकार**" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(iv) "**विभाग**" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग;

(v) "**आयोग**" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(vi) "**सरकार के सचिव/प्रधान सचिव**" से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग के सचिव / प्रधान सचिव;

(vii) "**निदेशालय**" से अभिप्रेत है आई0सी0डी0एस0, निदेशालय;

(viii) "**नियुक्ति पदाधिकारी**" से अभिप्रेत है निदेशक;

(ix) "**निदेशक**" से अभिप्रेत है आई0सी0डी0एस0, निदेशालय के निदेशक;

(x) "**राजभाषा विभाग** " से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन राजभाषा विभाग;

(xi) "**राजस्व पर्षद**" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन राजस्व पर्षद;

(xii) "**वर्ष**" से अभिप्रेत है 1ली अप्रैल से आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष;

(xiii) "**संवर्ग**" से अभिप्रेत है आई0सी0डी0एस0, निदेशालय के नियंत्रणाधीन, जिला परियोजना स्तर के सांख्यिकी सहायकों एवं पदाधिकारियों का संवर्ग;

(xiv) "**सदस्य** " से अभिप्रेत है बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी सहायक संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति;

(xv) "**प्रोग्राम कार्यालय**" से अभिप्रेत है जिला प्रोग्राम कार्यालय;

(xvi) "**परियोजना कार्यालय**" से अभिप्रेत है बाल विकास परियोजना कार्यालय; तथा

(xvii) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ;

3. **सेवा की संरचना :-**

(1) यह संवर्ग समाज कल्याण विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगा। इस सेवा की विभिन्न कोटि के पदों की संरचना निम्नवत अवधारित होगी :-

क्र0सं0	**पद कोटि का स्तर**	**पदनाम**
1	**2**	**3**
1	मूल कोटि (अराजपत्रित)	सांख्यिकी सहायक
2	प्रोन्नति (प्रथम स्तर) (राजपत्रित)	सांख्यिकी पदाधिकारी

उक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि को नियम 3(1) में उल्लेखित पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायक / पदाधिकारी स्वत: इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे।

(3) बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी संवर्ग के सांख्यिकी सहायक अराजपत्रित कर्मी होंगे तथा सांख्यिकी पदाधिकारी राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।

(4) इस संवर्ग में पदों की संख्या एवं संरचना का समय-समय पर पुनरीक्षण / अवधारणा राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

(5) समाज कल्याण विभाग, पाँच वर्षों के अन्तराल पर निम्नलिखित से मिलकर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर संवर्ग में पदों की संख्या एवं संरचना की समीक्षा करेगी :-

(a) सचिव / प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग :- अध्यक्ष

(b) निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय :- सदस्य

(c) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधि :- सदस्य

(d) विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार :- सदस्य

(e) आई0सी0डी0एस0, निदेशालय की स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी :- सदस्य सचिव

अध्याय-2

भर्ती

4. भर्ती का श्रोत । -

(1) इस संवर्ग की मूल कोटि के सांख्यिकी सहायक के पद पर सीधी भर्ती, आयोग की अनुशंसा, पर समय-समय पर अवधारित प्रक्रिया के अनुसार, निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय द्वारा की जायेगी। यह पद निदेशालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय में होगा। यह राज्यस्तरीय पद होगा।

(2) सांख्यिकी पदाधिकारी के सभी पदों को सांख्यिकी सहायकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित कालावधि सहित अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे। यह पद भी आई0सी0डी0एस0, निदेशालय तथा जिला प्रोग्राम कार्यालय में होगा राज्य स्तरीय संवर्ग का होगा।

5. **सीधी भर्ती हेतु अर्हता । -**

(1) अभ्यार्थी भारत का नागरिक होगा / होगी।

(2) आयु- अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी एवं अधितम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाय।

(3) शैक्षणिक अर्हता । - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र के साथ स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य होगा।

(4) चयन का आधार - इस संवर्ग की मूल कोटि में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कर, रिक्ति के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा, सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय को भेजी जायेगी। निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

7/9/17 7/9/17 7.9.17

(5) परीक्षा के विषय एवं पठ्यक्रम:- सांख्यिकी सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूची-1 में यथानिर्धारित पठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

(6) आयोग द्वारा अनुशंसित सफल अभ्यर्थी की मेघा सूची, अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(7) नियुक्ति :- परीक्षा में सफल होने मात्र से किसी उम्मीदवार का सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उनकी शैक्षणिक योग्यता, चरित्र एवं पूर्ववृत के संबंध में वैसी जॉच कराकर संतुष्ट न हों ले, जैसा कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु निदेशक, आई0सी0डी0एस0 आवश्यक समझे।

6. **रिक्तियों का अवधारण** - आई0सी0डी0एस0, निदेशालय प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील तक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अलग-अलग गणना की जायेगी तथा सीधे आयोग को 30 अप्रील तक रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेज दी जायेगी एवं एक प्रति समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय-3

वरीयता एवं सम्पुष्टि

7. वरीयता । - सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति कर्मियों की आपसी वरीयता का अवधारण राज्य स्तरवार आयोग द्वारा तैयार की गई क्रमानुसार मेघा सूची के आधार पर किया जायेगा।
पूर्व से नियुक्ति एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायक / पदाधिकारी की वरीयता समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों के अनुसार आई0सी0डी0एस0, निदेशालय द्वारा अवधारित की जायगी।

8. परिवीक्षा अवधि / विभागीय परीक्षा / सेवा सम्पुष्टि । -

(1) नियुक्ति के बाद दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि होगी। परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक ढंग से कार्य पूरा करने, निदेशालय द्वारा अवधारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होने पर, सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी।

(2) सांख्यिकी सहायक के लिये विभागीय परीक्षा का वही पाठ्यक्रम होगा जो राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के लिए अवधारित किया जाय राजपत्रित पद पर प्रोन्नति के पश्चात सरकार द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों के लिये अवधारित एवं विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित हिन्दी (लिखित) एवं हिन्दी (मौखिक) तथा लेखा पुस्तक सहित एवं रहित विषयों में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(3) आई0सी0डी0एस0, निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण (कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित) के लिए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से परामर्श प्राप्त कर तैयार किया जायेगा।

(4) परिवीक्षा अवधि के अंत में अथवा परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि उम्मीदवार की सेवा असंतोषजनक पायी गयी तो परिवीक्षा अवधि का एक वर्ष विस्तार के लिए किया जा सकेगा। विस्तारित परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने से संबंधित उम्मीदवार को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

अध्याय-4

प्रोन्नति

9. प्रोन्नति । -

(1) नियम-3 (1) में वर्णित कोटि / पद प्रोन्नति हेतु पद सोपान माना जायेगा।

(2) मूल कोटि से उच्चतर कोटि / कोटियों में प्रोन्नति के लिए विचारण के योजनार्थ कालावधि वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाय।

(3) मूल कोटि से उच्चतर कोटि / कोटियों में प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए निम्नांकित रूप से विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा :-

(क) सचिव / प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	अध्यक्ष
(ख) निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय	-	सदस्य
(ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	-	सदस्य
(घ) विभाग के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
(ड.) आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के स्थापना प्रभारी	-	सदस्य सचिव
(च) निदेशालय द्वारा नामित अल्पसंख्यक पदाधिकारी	-	सदस्य

अध्याय-5

प्रकीर्ण

10. **आरक्षण** । - मूल कोटि में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति एवं मूल कोटि से प्रोन्नति से उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति में राज्य में प्रवृत आरक्षण अधिनियम तथा उसके अधीन निर्गत संकल्पों / अनुदेशों / रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

11. **सेवा अवधि** । - इस संवर्ग में नियुक्त सांख्यिकी सहायकों की सेवा अवधि तथा राज्य सरकार द्वारा अवधारित अवधि अथवा परियोजना की समाप्ति अथवा संचालन अवधि तक, जो पहले हो, होगी।

12. **प्रशिक्षण** । - इस संवर्ग के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिये राज्य में / राज्य के बाहर समाज कल्याण विभाग / आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा अवधारित अवधि के लिसे भेजा जा सकेगा।

13. **पदस्थापना** । - इस संवर्ग के सदस्यों को आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय/ बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा।

14. **अन्य सेवा शर्तें** । - इस संवर्ग के लिये अन्य सेवा शर्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी देय सेवा निवृति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली में उल्लेखित नहीं है, के संबंध में राज्य सरकार में इस प्रयोजनार्थ तत्समय लागू नियमावली / विनियमावलियों के प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

7.9.17

15. **निरसन एवं व्यावृति ।** -

(1) इस संवर्ग से संबंधित सभी प्रासंगिक संकल्प / परिपत्र / विनिश्चय आदेश एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्पों परिपत्रों/विनिश्चयों/आदेशों या अनुदेशों के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस वैसा कुछ किया गया था अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

अनुसूची-1

बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी सेवा संवर्ग नियमावली, 2017

(नियम-5 (iv) देखें)

सांख्यिकी सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विषय एवं पठ्यक्रम

1.	**अनिवार्य विषय** -	(i) सामान्य हिन्दी	-	100 (पूर्णांक)
		(ii) सामान्य अध्ययन (सामयिक प्रसंगों के ज्ञान सिहत)	-	100 (पूर्णांक)
		(iii) सामान्य विज्ञान	-	100 (पूर्णांक)

सामान्य हिन्दी एक क्वालिफाइंग विषय के रूप में रहेगा जिसमें सभी अभ्यार्थियों को 30 न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा किन्तु इस पत्र में प्राप्त अंक अधिमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ जोडे नहीं जायेंगे।

2.	**ऐच्छिक विषय** -	(i) शुद्ध एवं व्यावहारिक गणित	-	200 (पूर्णांक)
		(ii) सांख्यिकी	-	200 (पूर्णांक)
		(iii) अर्थशास्त्र	-	200 (पूर्णांक)

उपर्युक्त विषयों में से दो विषय लेना अनिवार्य होगा।

3. पाठ्यक्रम - (i) सामान्य ज्ञान (सामयकि प्रसंगों के ज्ञान सहित) - इस पत्र में भारतीय इतिहास, संस्कृति और भूगोल अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य के समसामयिक घटनाक्रम के ऐसे प्रश्न भी रहेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकेंगे।

(ii) प्रारंभिक सामान्य विज्ञान - यह प्रश्न-पत्र दैनन्दिन अवलोकन और अनुभव की ऐसे बातों के वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान की परख करने के लिए होगा जिनकी जानकारी रखने की आशा किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन किए हुए शिक्षित व्यक्ति से भी की जा सके।

(iii) शुद्ध एवं व्यावहारिक गणित - (क) बीजगणित, त्रिकोणमिति और सरणिकाओं (डिटरमिनेन्ट्स) सहित समीकरणों (इक्वेशन) का सिद्धांत।

(ख) शुद्ध सममलत ज्यामिति (प्लैन ज्योमेट्री) और द्विविम और त्रिविम विश्लेषणात्मक ज्यामिति।

(ग) अवकल (डिफरेंशियल) तथा समाकल (इनटेगरल गणित और अविकल समीकरण।

(घ) स्थिति-विज्ञान (स्टैटिक्स) आकर्षण का सिद्धांत तथा विभव (पोटेंशियल) और द्रवस्थैनिक विज्ञान (हाड्रोस्टेटिक्स)।

(ड.) कण-गति-विज्ञान (डिनैमिक्स ऑफ पार्टिकिल्स) और प्रारंभिक दृढ गति-विज्ञान (रिजिड डिनैमिक्स)।

(iv) **सांख्यिकी** - प्रायिकता (प्रोबैबिलिटीज) का प्रारंभिक ज्ञान जिसके अन्तर्गत वे की परिकल्पना (हाईपाथिसिस) और प्रत्याशित मान (एक्सपेक्टेड वैल्यूज) भी है, लैग्रेन और न्यूटन का अग्रगामी अंतवेशन सूत्र (एडवांसिंग इंटरपोलेशन फर्मूला) प्रसामान्य वक्र की व्युत्पति (डेरिवेशन ऑफ नार्मल कर्व) और इसके कुछेक मूल गुणधर्म (फंडामेन्टल प्रपर्टीज) - न्यूनतम वर्ग (लिस्ट एक्सवायर) का प्रारंभिक सिद्धांत। वर्णात्मक सांख्यिकी - सारणीय (टेबुलेशन) - वर्गीकरण ग्राफी निरूपण (ग्राफीकल रेप्रिजेन्टेशन) माध्य (कुछ विस्तार के साथ अनुक्रमणी संख्या भी), परिपेक्षण (डिस्पर्शन) सममिति (सिमेट्री) कार्टोसिस, गुणधर्म और सहाचरूर्य (ऐट्रिब्यूट्स ऐंड असोसिएशन) सामान्य जनसंख्या में माध्य (मीन) और प्रसरण (वैरिअन्स) का वितरण और कार्य, कुछेक मानक वितरणों (डिस्ट्रब्यूशन्स) का प्रारंभिग गुणधर्म (ऐलिमेंटरी प्रोपर्टी) अर्थात द्विपद (वायनॉमिकल) आयताकार, कॉन्च का पर्सोनियम, स्वतंत्र प्रसामान्य प्रसरण (इंडिपेंडेंट नार्मल वे अरिएंट) से एक्स 2 वितरण के व्युतपन्न रूप द्विचर प्रसामान्य वितरणों (बाईवेरिएड नार्मल डिस्ट्रिब्यूशन) के गुणधर्म। परसोनियम-गुणांक (कोएफिशेंट), कोटि (रैंक) और अंतरावर्ग सहबंधन (इंटरक्लास कोरिलेशन) गुणांक, टेट्राकोरिक और बाईसेरियल सहित सहबंधन गुणांक कोरिलेशन कोएफिशेंट का सिद्धांत तथा मात्र दो और तीन बार (वेअरिअबल्स) सहित आंशिक सहबंधन गुणांक भी है। सांख्यिकी में प्रतिचयन (साम्प्लिंग) की धारणा (जिसके) अन्तर्गत यादृच्छिक सोद्देश्य और स्तरित प्रतिचयन भी है, परिकल्पना (हाईपॉथेसिस) की प्रारंभिक जॉच जिसमें फार्मल प्रूफ के बिना टी0एफ0 एक्स 2 वितरणों का प्रयोग अन्तर्वलित हो, प्रसरण (वे अरिअन्स) और सहप्रसरण (केवेआरिअम्स) के विश्लेशन की प्रारंभिक कल्पना (एकघ और द्विधा वर्गीकरण)।

(v) अर्थशास्त्र - उम्मीदवारों से आशा की जायेगी कि वे आर्थिक सिद्धांत का ज्ञान रखते हैं और उन्हें तथ्यों से सिद्धांत निदेशित करने और सिद्धांत की सहायता से तथ्यों का विश्लेशन करने के लिये भी तैयार करना चाहिए। आर्थिक विचार के विकास के सिद्धांत तथा लोक-वित्त विषयक प्रश्न भी चुने जा सकेंगे।

ऐच्छिक पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो पटना विश्वविधलय की स्नातक परीक्षा का है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/10010/03-2012 4191 पटना, दिनांक- 7.9.17

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/10010/03-2012 4191 पटना, दिनांक- 7.9.17

प्रतिलिपि :- सदस्य राजस्व पर्षद/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/10010/03-2012 4191 पटना, दिनांक- 7.9.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना/ सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/10010/03-2012 4191 पटना, दिनांक- 7.9.17

प्रतिलिपि :- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग